

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 33/2020

तारीख रजू 17.01.2020

भोलेश पुत्र हरिप्रसाद जाति मीना निवासी धर्मपुरी तह.खण्डार।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार।

— रेस्पो०

निर्णय

दिनांक..... 26/02/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 190/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम धर्मपुरी के आराजी खसरा नम्बर 14 कवा 0.11 बीघा किस्म गैर मुमकिन तलाई पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो० की ओर से राजकीय परोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि हल्का पटवारी द्वारा मौके स्थिति की वास्तविक जाँच किए बिना गलत मौका रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया यदि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो यह निर्णय कदापि नहीं होता इसलिए निर्णय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को खसरा नम्बर 14 रकबा 0.11 बीघा का पाश्चतवर्ती अतिक्रमी माना गया है परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त खसरा नम्बर की किस्म की स्पष्ट नहीं की गई है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पाश्चतवर्ती अतिचारी मानते हुये अपीलान्त को सजा के दण्ड से दण्डित किया है किन्तु पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये

k
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता । अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया ।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है । अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त को स्वयं को तामील होने पर अपीलान्त बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 01.10.2019 को उपस्थित हुआ । अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है । जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है । अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ । मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

15
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर